भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4255
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

4255. श्री अब्दुल खालेकः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों में महिला सशक्तिकरण हेतु कौन-कौन से विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में अब तक राज्य-वार कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है; और

(ग) असम के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और अब तक इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय असम राज्य सहित देशभर में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है । प्रमुख स्कीमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

i. महिला शक्ति केंद्र का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है । स्कीम में ब्लॉक स्तरीय पहलों के भाग रूप में 115 आकांक्षी जिलों में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कॉलेज छात्र स्वयं सेवकों के माध्यम से सामुदायिक जुटाव की परिकल्पना की गई है । 640 जिलों में जिला स्तरीय महिला केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) और राज्य महिला संसाधन केंद्र महिला केंद्रित स्कीमों और बीबीबीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित सरकारों को सहयोग प्रदान करते हैं । महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत 7 आकांक्षी जिलों नामतः धुबरी, गोलपाड़ा, बारपेटा, दरांग, बक्सा, उदालगुड़ी और हेलाकांडी में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय गतिविधियों का अनुमोदन किया गया है ।

ii. स्वाधार गृह स्कीम का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाएं हैं, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहयोग की जरूरत है ताकि वे गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें । चालू वित्त वर्ष में स्वाधार गृह स्कीम से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या 12890 है । असम में 15 स्वाधार गृह कार्यरत हैं और पिछले 5 वर्षों में 6288 महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं ।

iii. उज्ज्वला वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने, पीड़ितों का बचाव करने और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने मूलभूत सुविधाओं/जरूरतों की पूर्ति करते हुए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, पीड़ितों के परिवार और समाज में पुनःसमेकन करने, सीमा-पारीय पीड़ितों के प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य वाली एक व्यापक स्कीम है । चालू वित्तीय वर्ष में उज्ज्वला स्कीम के तहत लाभान्वित महिलाओं की संख्या 5427 है । असम में 20 उज्ज्वला गृह कार्यरत हैं और और पिछले 5 वर्षों के दौरान 21880 महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं ।

iv. कामकाजी महिला हॉस्टल का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना है । इन हॉस्टलों में अंत:वासियों के बच्चों के लिए दिवस देखभाल सुविधा होती है । मंत्रालय एनजीओ या राज्य सरकारों द्वारा ऐसे हॉस्टल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कामकाजी महिला हॉस्टल के तहत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की अतिरिक्त संख्या 750 है। असम राज्य में 11 कामकाजी महिला हॉस्टल कार्यरत हैं।

v. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) पूर्वाग्रहों को बदलने, चुने गए जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्रवाई, लड़कियों की शिक्षा को सक्षम बनाने और गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए जागरुकता और पैरवी अभियानों पर केंद्रित महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों की त्रि-मंत्रालयी पहल है । इस स्कीम का विशेष उल्लेख लिंग आधारित लिंग चयन को दूर करके बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में कमी का समाधान करना; लड़कियों की उत्तरजीविता और संरक्षण को सुनिश्चित करना और लड़कियों की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करना है । असम राज्य में कामरुप (एम) जिले में जनवरी, 2015 से और धेमाजी और कचार नामक दो अन्य जिलों में 2019 से बीबीबीपी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

vi. महिला हैल्पलाइन स्कीम (डब्ल्यूएचएल) पूरे देश में एकल यूनिफार्म नम्बर (181) के माध्यम से महिलाओं से संबंधित सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के बारे में संदर्भ और सूचना के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपात और गैर-आपात सेवाएं प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है । महिला हैल्पलाइन देशभर में महिलाओं के कल्याण की स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने के अतिरिक्त आपदाग्रस्त महिलाओं को राहत वैन और काउंसलिंग सेवाओं द्वारा भी सहायता करती है । महिला हैल्पलाइन 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है । असम में, महिला हैल्पलाइन स्कीम अप्रैल, 2018 से कार्यान्वित की जा रही है और स्कीम के तहत 1660 महिलाओं ने इन सेवाओं का लाभ उठाया है।

vii. वन स्टॉप सैंटर (ओएससी) हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहयोग और अस्थायी आश्रय सहित एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं । स्कीम का वित्तपोषण निर्भया फंड के माध्यम से किया जाता है । इस स्कीम के तहत देश के सभी जिलों में वन स्टॉप सैंटर स्थापित किए जा रहे हैं । अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 728 ओएससी स्थापित किए जाने का अनुमोदन किया गया है । इनमें से 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 614 ओएससी स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने 2.27 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है । असम राज्य में वन स्टॉप सैंटर स्कीम कामरुप (एम), नगांव, कचार, करीमगंज और जोरहाट में 2017 से कार्यान्वित की जा रही है और 2019 से सभी 33 जिलों में अनुमोदित की गई है, जिससे 1458 महिलाओं ने सहायता प्राप्त की है ।

viii. महिला पुलिस वॉलेंटियर्स (एमपीवीएस) स्कीम का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है । इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वॉलेंटियरों के नियोजन की परिकल्पना की गई है, जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी का कार्य करती हैं और आपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता करती हैं । महिला पुलिस वॉलेंटियर्स सशक्त, जिम्मेदार, सामाजिक रूप से जागरुक महिलाएं होती हैं, जो जरूरतमंद महिलाओं और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और पहलों वाली कानूनी प्राधिकरणों के बीच संपर्क को बढ़ावा देती हैं । प्रत्येक पंचायत/वार्ड में कम से कम एक एमपीवी को नियोजित किया जाएगा । वर्तमान में 12 राज्यों नामत: मिजोरम (आइजोल और लुंगलेई), कर्नाटक (गुलबर्गा और बागलकोट), झारखंड (रांची और धनबाद), हरियाणा

(करनाल और महेन्द्र नगर), आंध्र प्रदेश (सभी जिलों), गुजरात (सूरत और अहमदाबाद), छत्तीसगढ़ (कोरिया और दुर्ग), मध्य प्रदेश (विदिशा और मुरैना), त्रिपुरा (पश्चिम त्रिपुरा और गोमती), नागालैंड (दीमापुर और लोंगलेंग), उत्तराखंड (हरिद्वार और उधमसिंह नगर) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 9531 से अधिक वॉलेंटियरों सहित एमपीवी स्कीम का अनुमोदन किया गया है । हालांकि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और उत्तराखंड के लिए, एमपीवी स्कीम प्रचालनीकरण की प्रक्रिया के अधीन है ।

*****